

47

प्रपत्र-16

परियोजना का नाम :- जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019-20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रुड़की-लक्सर-बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेव्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किए जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जाएगा।


अधिसासी अभियन्ता
पर्यावरण एवं वन
रा0मा0 खण्ड, हरिद्वार
देहरादून


प्रभागीय वन अधिकारी, हरिद्वार
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार